न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– ज्वाला सहाय मीणा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं ::92 / 2024

सीसीएमएस सं0 :: 2024 / 199

1. ओमप्रकाश । पुत्रगण काना
2. मेघाराम ।
3. बजरंग ।
4. छोटी । पुत्रियां काना
5. धापू ।
6. भंवरी ।
7. प्रदीप । दोहित्रा व दोहित्री काना
8. सुनील ।
9. पिंकी ।
10. गोपाली देवी पत्नी नारायणलाल
11. सांवरमल दत्तक पुत्र नारायणलाल।
12. चौथूराम। पुत्रगण मंगला
13. मालाराम।
14. बंशी । पुत्रगण नाथू
15. भगवाना ।
16. भोमाराम पुत्र मैदाराम।

समस्त जाति माली नि0 ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़, जिला सीकर।

–वादीगण,

बनाम

1. मौसमी देवी पत्नि बोदूराम जाति माली नि0 ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़,सीकर।
2. रामलाल बिजारणियां पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट नि0 ग्राम मंढा (मदनी)तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3. उप पंजीयक, पलसाना।
4. तहसीलदार, दांतारामगढ़।
5. रामचन्द्र पुत्र काना जाति माली नि0 ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़,सीकर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री सांवरमल चौधरी वकील वादीगण की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

निर्णय दिनांक :: 26.06.25

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में भूमि ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 अवस्थित है, जो वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक, आधिपत्य की भूमि है। परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी प्रति0सं0 1 के नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अंकित है। ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़,सीकर के तन में भूमि ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 अवस्थित है। उपरोक्त भूमि भी वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक आधिपत्य की भूमि है,जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रति0सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त भूमियों में अपने पूर्वजों के फुट स्टेप पर वादी सं0 1 ता 6 एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र प्रत्येक का 1/72, 1/72, वादीगण सं0 7 ता 10 प्रत्येक का 1/216, 1/216 वादिनी सं0 10 का 1/18 हिस्से, वादी सं0 11 1/9 हिस्से, वादी सं0 12 व 13 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्से, वादीगण सं0 14 व 15 प्रत्येक 1/9, 1/9हिस्से तथा वादी सं0 16 का 1/6 हक हिस्सा है। भूमि ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 का मूल ख0नं0 एक ही रहा है, जो ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 राजस्व रिकॉर्ड में अवस्थित है। मद सं0 3 में वर्णितानुसार मूल ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 का एक भाग रही है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी रास्ता की भूमिया ख0नं0 1112 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 1113 रकबा 0.07 है0 की पूर्वी दिशा मे अवस्थित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सरकारी रास्ते में दर्ज भूमियां ख0नं0 1112 व 1113 का पुराना ख0नं0 502 रकबा 11 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के पूर्व बने राजस्व रिकार्ड एंव मौका स्थिति के अनुसार सरकारी रास्ते की भूमि नया ख0नं0 1112 व 1113 जिनका पुराना ख0नं0 502 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है, की पूर्वी दिशा में रास्ते से लगती हुई भूमि वादीगण व प्रर्फोमा प्रति0सं0 5 एंव उनके पूर्वजों के खाते, कब्जे काश्यत की रही है। जिसमें वर्तमान ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 वाली भूमि भी शामिल है। जो आज भी वादीगण व प्रति0सं0 5 के ही हक आधिपत्य में चली आ रही है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नया राजस्व रिकार्ड संधारित किया गया उसमें सरकारी रास्ते की भूमियों ख0नं0 1112 व 1113 की पूर्वी दिशा में मौका व जिनका पुराना ख0नं0 502 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है। राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर नया ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 वाली भूमि कतई गलत रूप से सरकारी रास्ते ख0नं0 1112 व 1113 जिनका पुराना ख0नं0 502 राजस्व रिकार्ड में अंकित रहे कि पश्चिमी दिशा में अवस्थित रही भूमियों के सहखातेदारों की खातेदारी में गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया।

प्रति0सं0 1 व 2 भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़, सीकर के मूल खातेदार नहीं है। उनके नाम इन भूमियों की खातेदारी सरकारी रास्ते की भूमि पुराना ख0नं0 502 के पश्चिमी दिशा में अवस्थित सह खातेदारान के नाम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड अंकित की गई, खातेदारी के आधार पर अवैध हस्तान्तरण प्रलेख एंव उनके आधार पर आपस में किए गए अवैध बंटवारानामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चली आ रही है। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारिता के आदेश या हस्तान्तरण प्रलेख बिना वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक आधिपत्य की भूमि ख0नं0

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

1114/2265 रकबा 0.23 है0 की खातेदारी सरकारी रास्ते के पश्चिमी दिशा वाले सह खातेदारान की खातेदारी में अंकित करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के विधिक अधिकार कतई समाप्त नहीं हो सकते है। उक्त भूमियों की खातेदारी प्रति0सं0 1 व 2 के विक्रेतागणों केनाम ही गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित हो रखी हो तो गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रति0सं0 1 व 2 के नाम विवादित भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़, सीकर के राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारी इन्द्राजात अवैध है। जिनके आधार पर उन्हें किसी तरह के कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है तथा वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 के हक अधिकार समाप्त नहीं हो सकते है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़, सीकर के संबंध में वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 को खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने तथा प्रति0सं0 1 व 2 का नाम उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के मुख्य अनुतोष निमित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 15 की उप मद क, ख, ग, घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1 ता 5 बावजूद रजिस्ट्रर्ड समन तलबी के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। वादी गण ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संत् 2076–79 ग्राम मंढा, प0ह0 मंढा मदनी, तह0 दांतारामगढ़,सीकर के खाता सं0 नया 756 ,434 प्रदर्श–01 व 02, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, प्रमा0प्रति0 जमाबंदी संवत् 2040–43 प्रदर्श–04, प्रमा0प्रति0 जमाबंदी संवत् 1.4.94 से 1.3.2014 प्रदर्श–05, प्रमा0प्रति0 जमाबंदी संवत् 2040–43 प्रदर्श–06, प्रमा0प्रति0 जमाबंदी संवत् 94–14 प्रदर्श–07, प्रमा0 प्रति0 आंशिक नकल नक्शा प्रदर्श–08,प्रमा0प्रति0 ना0क0सं0 1753 वाके ग्राम मंढा प्रदर्श–09 व 10, प्रमा0प्रति नई नक्शा सर्वेशीट की प्रति प्रदर्श–11 पेश की। वाद के समर्थन में साक्ष्य में शपथ–पत्र ओमप्रकाश पुत्र काना जाति माली नि0 मंढा तह0 दांतारामगढ़, सीकर, शपथ पत्र सांवरमल दत्तक पुत्र नारायणलाल माली नि0 मंढा तह0 दांतारामगढ़, सीकर, शपथ पत्र रामेश्वरलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद माली नि0 मंढा तह0 दांतारामगढ़, सीकर किये जो शामिल मिशल किये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्रों एंव दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील वादीगण ने निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से विवादित भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़, सीकर के नाम से खातेदारी में गलत रूप से अंकित है। यह भूमियां वादीगण के पूर्वजों के जमाने से वादी व प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 की है, जिनका मूल ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 है। सेटलमेंट विभाग की गलत से यह भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई। मेरा दावा डिक्री किया जाकर ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 का मुझे खातेदार घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

पत्रावली एंव प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एंव साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्रों के अवलोकन से जाहिर है कि प्रति0सं0 1 व 2 विवादित भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा (मदनी) तह0 दांतारामगढ़, सीकर के मूल खातेदार नहीं है। उनके नाम इन भूमियों की खातेदारी सरकारी रास्ते की भूमि पुराना ख0नं0 502 के पश्चिमी दिशा में अवस्थित सह खातेदारान के नाम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड अंकित की गई, खातेदारी के आधार पर हस्तान्तरण प्रलेख एंव उनके आधार पर आपस में किए गए बंटवारानामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रति0सं0 1 व 2 के नाम अंकित होकर चली आ रही है। भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारिता के आदेश या हस्तान्तरण प्रलेख बिना वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के हक आधिपत्य की भूमि ख0नं0 1114/2265 रकबा 0.23 है0 की खातेदारी भूमि सरकारी रास्ते के पश्चिमी दिशा वाले सह खातेदारान की खातेदारी में अंकित करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। ना ही इससे वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र के विधिक अधिकार कतई समाप्त हो सकते है। एंव ना ही उक्त गलत खातेदारी के आधार पर प्रति0सं0 1 व 2 कों किसी तरह के कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकते है तथा ना वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 के हक अधिकार समाप्त हो सकते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद भूमियां ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 तन ग्राम मंढा मदनी तह0 दांतारामगढ़, सीकर के संबंध में वादीगण एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 को खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने तथा प्रति0सं0 1 व 2 का नाम उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने हेतु पेश किया है, जिसमें बावजूद रजिस्टर्ड समन तलबी के प्रति0सं0 1 ता 5 उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मंढा प0ह0 मंढा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 में वादीगण सं0 वादी सं0 1 ता 6 एंव प्रफोर्मा प्रति0सं0 5 रामचन्द्र प्रत्येक को 1/72, 1/72 हिस्से का , वादीगण सं0 7 ता 10 प्रत्येक को 1/216, 1/216 हिस्से का एंव वादिनी सं0 10 का 1/18 हिस्से का, वादी सं0 11 को 1/9 हिस्से का, वादी सं0 12 व 13 प्रत्येक को 1/6, 1/6 हिस्से का, वादीगण सं0 14 व 15 प्रत्येक को 1/9, 1/9 हिस्से का तथा वादी सं0 16 का 1/6 हक हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर प्रति0सं0 1 व 2 का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि ख0नं0 ख0नं0 2327/1114 रकबा 0.08 है0 व ख0नं0 2328/1114 रकबा 0.15 है0 के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया बाद तकमील कागजात दाखिल पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर